



कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।

क्रमांक: एफ/एमसी/शैक्षणिक/ऐन्टी रैगिंग/2019/ 30878

दिनांक: 11/11/19

सूचना

1. इस महाविद्यालय के अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
2. यह भी उल्लेखित किया जाता है कि रैगिंग लेना एक कानूनन अपराध है। अगर भविष्य में कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की रैगिंग/रैगिंग से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
3. सभी छात्र/छात्राएँ किसी भी प्रकार से रैगिंग नहीं ले एवं इस प्रकार की गतिविधियों में भी भाग नहीं लें।
4. सभी छात्र/छात्राओं बैच 2015 से बैच 2019 को निर्देश दिये जाते हैं कि रैगिंग नहीं करने बाबत अपना एवं अपने पिताजी/माताजी/संरक्षक का शपथ पत्र (Affidavit) www.antiragging.in या www.amanmovement.org पर online पंजीकरण /भर कर उसकी Hard Copy इस महाविद्यालय में 08.11.2019 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें
5. उक्त वेब पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सूचना निम्नानुसार है।

Name of Principal : Dr. Sudhir Bhandari
Number of Student : 250
Police Station : Moti Dungari
Phone No. College : 0141-2518380, 2518372

इसे अति आवश्यक समझा जावें।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक:

क्रमांक: एफ/एमसी/शैक्षणिक/ऐन्टी रैगिंग/2019/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त आचार्य एवं विभागध्यक्ष।
2. डीन, छात्र कल्याण।
3. वार्डन सभी हॉस्टल।
4. डॉ. अर्पिता जिदंदल, आचार्य, पैथोलोजी एवं प्रभारी वेबसाइट।
5. पी.एस. प्रधानाचार्य/ वरिष्ठ पी.ए. अतिरिक्त प्रधानाचार्य।
6. सभी नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक